[2018] 13 एस. सी. आर 847

आय कर अधिकारी

वी.

उर्बन सुधार विश्वास

(2018 की सिविल अपील संख्या 10577)

12 अक्टूबर, 2018

[ए. के. सिकरी और अशोक भूषण, जे. जे.]

आय कर अधिनियम, 1961:

एस के स्पष्टीकरण के खंड (iii) के अर्थ के भीतर। 10 (2) – निर्धारिती की याचिका कि यह स्पष्टीकरण के खंड (iii) के तहत एक "नगरपालिका समिति" है। 10 (2) – आयोजित किया गयाः शहरी सुधार अधिनियम की योजना, जिसके तहत निर्धारिती का गठन किया गया था, इस याचिका को स्वीकार करने की अनुमति नहीं देती है कि निर्धारिती एक "नगरपालिका समिति" है। एस के स्पष्टीकरण के खंड (iii) के अर्थ के भीतर। 10 (20) – राजस्थान सुधार अधिनियम, 1959-एस. 47 , 48 , 61 64 और 105 तक।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. राजस्थान शहरी सुधार अधिनियम, 1959 की योजना के साथ-साथ राजस्थान की नगर पालिकाओं का अवलोकन

अधिनियम, 1959 इंगित करता है कि शहरी सुधार न्यास नगरपालिका/नगरपालिका बोर्ड में शामिल शहरी क्षेत्र में विकास करता है। अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का गठन नगरपालिका/नगरपालिका बोर्ड के स्थान पर नहीं किया जाता है, बल्कि यह राजस्थान शहरी सुधार अधिनियम, 1959 के तहत नगरपालिका/नगरपालिका बोर्ड के शहरी क्षेत्रों में सुधार का कार्य करता है। यह शहरी सुधार अधिनियम की धारा 47 और 48 में निर्दिष्ट नगरपालिका बोर्ड की कुछ सीमित शक्तियों का भी प्रदर्शन कर सकता है, लेकिन इस तरह के प्रावधान के बल पर शहरी सुधार न्यास ऐसा नहीं करता है।

2. संविधान (74 वां) संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा संविधान में भाग IXA को शामिल करने के बाद, 01.06.1993 , अनुच्छेद 243 क्यू नगरपालिकाओं के गठन से संबंधित है। धारा 10 (20) स्पष्टीकरण, खंड (ii) से संबंधित है -

नगरपालिकाएँ; निर्धारिती ने अपने दावे को स्पष्टीकरण के खंड (ii) के आधार पर आधारित नहीं किया है, बल्कि उसने अपने दावे को सीमित कर दिया है -

केवल खंड (iii)। खंड (iii) के तहत निर्धारिती का दावा है कि यह एक "नगरपालिका समिति" है। [पैरा 27 और 28] [861-सी-डी] 3. राजस्थान सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 47 और 48 के प्रावधान नगर निगम बोर्डों की कुछ शक्तियों को ट्रस्ट द्वारा निष्पादित करने की अनुमति देते हैं जो ट्रस्ट को नगर समिति में परिवर्तित नहीं करता है। धारा 61 से 64 सुधार शुल्क लगाने के लिए सशक्त प्रावधान हैं, जो शहरी क्षेत्रों में सुधार न्यास द्वारा सुधार करने के संदर्भ में है। नगर निगम बोर्ड, कोटा उन क्षेत्रों में अपने कार्य करता है जहां नगर निगम बोर्ड अभी भी मौजूद है। यह स्वीकार करने का कोई कारण नहीं है कि अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट एक नगरपालिका समिति है।

आई. टी. अधिनियम की धारा 10 (20) के स्पष्टीकरण का खंड (iii)। इस प्रकार, राजस्थान शहरी सुधार अधिनियम, 1959 की योजना लागू होती है। अपीलार्थी निर्धारिती के इस तर्क को स्वीकार करने की अनुमति नहीं देता है कि शहरी सुधार न्यास धारा 10 (20) स्पष्टीकरण (iii) के अर्थ के भीतर एक नगरपालिका समिति है। [पारस 35,36 और 37] [865-डी-एच; 866-ए-बी]

न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण बनाम। मुखिया।

आयकर आयुक्त और अन्य। (2018) 8 स्केल 365; कृषि उपज बाजार समिति नरेला,

दिल्ली बनाम. आयकर आयुक्त और एक अन्य (2008) 9 एस. सी. सी. 434: [2008] 12 एस. सी. आर. 387-- पर निर्भर था।

भारत संघ बनाम। आर. सी. जैन (1981) 2 एससीसी 308-संदर्भित

को।

आय कर अधिकारी v. शहरी सुधार

विश्वास रखें।

मामला कानून संदर्भ

(2018) 8 स्केल 365

उस पर भरोसा करें

पै

रा 10

[2008] 12 एससीआर 387

उस पर भरोसा करें

पै

रा 29

(1981) 2 एस. सी. सी. 308

संदर्भित किया गया है

पै

रा 30

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 10577

2018 से।

उच्च न्यायालय के 23.10.2017 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2016 की डी. बी. आयकर अपील संख्या 287 में जयपुर में राजस्थान पीठ के लिए न्यायिक कार्य

के साथ

सिविल अपील सं। 10578 , 10579 , 10580 , 10581 , 10584 , 10582 ,

10586 , 10585 , 10583 2018 से।

विक्रमजीत बनर्जी, ए. एस. जी., के. राधाकृष्णन, वरिष्ठ अधिवक्ता। , रुपेश

कुमार, अरिजीत प्रसाद, श्रीमती अनिल कटियार, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

संजय झानवार, रजत शर्मा, तरुण गुप्ता, अधिवक्ता। के लिए

उत्तरदाता।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

अशोक भूषण, जे. 1. छुट्टी दे दी गई। 2. ये अपीलें राजस्व द्वारा दायर की गई हैं जिन्हें चुनौती दी गई है

राजस्थान उच्च न्यायालय के डिवीजन बेंच के निर्णय दिनांक 25.07.2017 के साथ-साथ पहले के फैसले के बाद दिनांक 23.10.2017 के बाद के फैसले। उच्च न्यायालय ने अपने उपरोक्त निर्णयों के माध्यम से राजस्व की सभी आयकर अपीलों को खारिज कर दिया है और निर्धारिती-अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को अनुमति दी है। डिवीजन बेंच ने निर्धारिती के इस दावे को स्वीकार कर लिया कि यह आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (20) के स्पष्टीकरण के खंड (iii) के अर्थ के भीतर स्थानीय प्राधिकरण है और इसलिए यह अधिनियम की धारा 10 (20) के तहत छूट का हकदार है। राजस्व का तर्क है कि शहरी सुधार न्यास, निर्धारिती है धारा 10 (20) के स्पष्टीकरण के अर्थ के भीतर एक स्थानीय प्राधिकरण नहीं है, इसलिए यह छूट का हकदार नहीं है।

3. अपीलों के इस समूह पर निर्णय लेने के लिए, यह नोटिस करने के लिए पर्याप्त होगा

एस. एल. पी. से उद्भूत सिविल अपील के तथ्य। (ग) 2018 का सं. 18067-आयकर अधिकारी बनाम। एम/एस। शहरी सुधार न्यास, कोटा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

4. धारा 10 (20) को वित्त अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित किया गया है। आयकर अधिनियम, 1961 (इसके बाद "आई. टी. अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 142 (1) के तहत एक नोटिस दिनांक 01.08.2005 पर जारी किया गया था।

निर्धारिती को निर्धारण वर्ष 2003 2004 के लिए विवरणी दाखिल करने की आवश्यकता होती है। निर्धारिती की ओर से एक जवाब प्रस्तुत किया गया था कि शहरी सुधार न्यास-निर्धारिती अर्थ के भीतर एक नगरपालिका है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 पी के तहत, इसलिए आयकर विवरणी दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है। निर्धारण अधिकारी ने निर्धारिती के इस तर्क को खारिज करते हुए कि उसकी आय को धारा 10 (20) के तहत छूट दी गई है, एक मूल्यांकन आदेश पारित किया। निर्धारिती द्वारा आयुक्त (अपील) के समक्ष एक अपील दायर की गई थी। आयुक्त (अपील) ने पारित किया

10.02.2010 पर एक आदेश जिसमें कहा गया है कि निर्धारिती आई. टी. अधिनियम की धारा 10 (20) के अर्थ के भीतर एक स्थानीय प्राधिकारी है। राजस्व ने अपीलीय आदेश को चुनौती देते हुए आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (इसके बाद "आई. टी. ए. टी". के रूप में संदर्भित) के समक्ष अपील दायर की। आई. टी. ए. टी. ने राजस्व के इस दावे को स्वीकार कर लिया कि निर्धारिती की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है -

धारा 10 (20) के स्पष्टीकरण का खंड (iii)। अपीलीय न्यायाधिकरण ने पैराग्राफ 2.6 में अपील को स्वीकार कर लिया और मामले को आयकर आयुक्त (अपील) को वापस कर दिया। आई. टी. ए. टी. के आदेश का पैरा 2.6 इस प्रकार हैः

" 2.6 राजस्थान आवास बोर्ड के मामले में हमारे निर्णय को ध्यान में रखते हुए, हम महसूस करते हैं कि एल. डी. सी. आई. टी. (ए) का यह मानना उचित नहीं था कि यू. टी. आई. की आय को अधिनियम की धारा 10 (20) के तहत छूट दी गई है। एल. डी. सी. आई. टी. (ए) ने निर्धारिती द्वारा उनके समक्ष उठाए गए अन्य मुद्दों पर निर्णय नहीं लिया है क्योंकि एल. डी. सी. आई. टी. (ए) की राय थी कि निर्धारिती की आय को अधिनियम की धारा 10 (20) के तहत छूट दी गई थी। चूँकि हम एल. डी. के ऑर्डर को खाली कर रहे हैं। अधिनियम की धारा 10 (20) के तहत छूट के दायित्व के मुद्दे पर सी. आई. टी. (ए), इसलिए, एल. डी. द्वारा अन्य मुद्दों पर नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता है। सीआईटी (ए)। तदनुसार,

अपीलों को एल. डी. की फाइल पर वापस कर दिया जाता है। सीआईटी (ए)। ”

5. आई. टी. ए. टी. के आदेश से व्यथित निर्धारिती और राजस्व दोनों ने आई. टी. की धारा 260 ए के तहत उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी।

एक्ट करें। उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 25.07.2017 के फैसले के माध्यम से सभी अपीलों का फैसला किया। उच्च न्यायालय ने निर्धारिती को धारा 10 (20) स्पष्टीकरण के अर्थ के भीतर स्थानीय प्राधिकारी माना। निर्धारिती के पक्ष में उपरोक्त मुद्दे का जवाब देने के बाद, उच्च न्यायालय ने कहा कि अन्य मुद्दे

अकादमिक हो गए हैं। नतीजतन, राजस्व द्वारा दायर अपीलों को खारिज कर दिया गया और निर्धारिती की अपीलों को स्वीकार कर लिया गया।

आय कर अधिकारी v. उर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट [अशोक भूषण, जे.]

6. राजस्व द्वारा उच्च न्यायालय के दिनांक 23.10.2017 के बाद के फैसले पर सवाल उठाते हुए अपीलों का एक और सेट दायर किया गया है।

2016 की आयकर अपील संख्या 287 और अन्य अपीलों का निर्णय लेना। उपरोक्त अपीलें निर्धारिती द्वारा आई. टी. ए. टी. दिनांक 1 के फैसले के खिलाफ दायर की गई थीं, जिसमें आई. टी. ए. टी. ने निर्धारण अधिकारी के आदेश को दरकिनार कर दिया था और निर्धारण अधिकारी को निर्धारण वर्ष 2 से 3 के संबंध में धारा 148 के तहत नोटिस जारी करने के कारण प्रदान करने का निर्देश दिया था। इसके बाद निर्धारिती को निर्धारण अधिकारी और निर्धारण अधिकारी के समक्ष आपत्ति दर्ज करने की अनुमति दी गई अधिकारी को बोलने का आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया था। पैरा 7 में निहित आई. टी. ए. टी. के निर्णय का कार्यात्मक भाग निम्नलिखित प्रभाव से हैः

" 7. चूंकि हमने निर्धारण अधिकारी के रूप में निर्धारण वर्ष 2005-06 से 2009-10 के संबंध में पारित आदेश को अलग कर दिया है। अधिनियम की धारा 148 के तहत कारण प्रदान नहीं किए गए हैं, इसलिए, निर्धारण वर्ष 2005-06 से 2009-10 के संबंध में Ld CIT (A) द्वारा पारित आदेश से उत्पन्न राजस्व की अपील

निर्धारण अधिकारी को निर्धारिती को कारण प्रदान करने के बाद और निर्णय के संदर्भ में आपत्तियों पर निर्णय लेने के बाद नया आदेश पारित करने के निर्देश के साथ भी अलग रखा जाता है।

जी. के. एन. ड्राइवशाफ्ट्स (इंडिया) लिमिटेड का मामला। बनाम आय

कर अधिकारी और अन्य [2003] 259 आईटीआर 19 (एससी)। उपरोक्त के आलोक में, निर्धारिती की सभी अपीलों के साथ-साथ राजस्व को सांख्यिकीय के लिए निर्धारण अधिकारी की फाइल में अलग रखा जाता है।

उद्देश्य "।

7. आई. टी. ए. टी. के आदेश से व्यथित होकर, अपील निर्धारिती द्वारा दायर की गई थी। उच्च न्यायालय के समक्ष निर्धारिती का तर्क था कि

निर्धारिती को आई. टी. अधिनियम की धारा 10 (20) के स्पष्टीकरण के अर्थ के भीतर स्थानीय प्राधिकरण की परिभाषा द्वारा शामिल किया गया था, इसलिए उसकी आय को छूट दी गई थी। उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने ऊपर उल्लिखित अपने पहले के खंड पीठ के फैसले का हवाला दिया और निर्धारिती द्वारा दायर अपीलों को स्वीकार कर लिया।

8. उपरोक्त दो निर्णयों से व्यथित राजस्व इन अपीलों में सामने आया है। उच्च न्यायालय के दोनों निर्णयों के अनुसार, अपीलों के इस समूह में विचाराधीन विभिन्न अपीलों को जन्म देते हुए आयकर अपीलों की संख्या तय की गई थी।

9. हमने श्री विक्रमजीत बनर्जी, भारत के विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, श्री के. राधाकृष्णन, विद्वान वरिष्ठ वकील [2018] 13 एस. सी. आर. को सुना है।

अपीलार्थियों के लिए। प्रतिवादी की ओर से श्री संजय झानवार और अन्य विद्वान वकीलों को सुना गया है।

10. अपील के समर्थन में अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील

यह तर्क दिया जाता है कि उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने में त्रुटि की कि शहरी सुधार न्यास-निर्धारिती आई. टी. अधिनियम की धारा 10 (20) के स्पष्टीकरण के अर्थ के भीतर एक स्थानीय प्राधिकरण है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को पहले वित्त अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधन से पहले स्थानीय प्राधिकरण की व्यापक परिभाषा का लाभ मिल रहा था, लेकिन वित्त अधिनियम, 2002 द्वारा धारा 10 (20) में संशोधन के बाद, अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को अब स्थानीय प्राधिकरण की परिभाषा में शामिल नहीं किया गया है। अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि निर्धारिती, यानी शहरी सुधार न्यास किसी भी खंड, यानी आई. टी. अधिनियम की धारा 10 (20) के स्पष्टीकरण के खंड (i) से (iv) के अंतर्गत नहीं आता है। अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील आगे न्यू ओखला इंडस्ट्रियल में इस न्यायालय के हाल के फैसले पर निर्भर करते हैं।

विकास प्राधिकरण बनाम मुख्य आयकर आयुक्त

& ओआरएस। (2018) 8 स्केल 365, जिसके निर्णय द्वारा, इस न्यायालय को धारा 10 (20) के स्पष्टीकरण और संविधान के अनुच्छेद 243 पी और 243 क्यू के संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या करने का अवसर मिला।

11. अपीलार्थी के प्रस्तुत करने का खंडन करने वाले निर्धारिती के विद्वान वकील का तर्क है कि अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट पूरी तरह से इसके दायरे में आता है

वित्त अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित धारा 10 (20) के स्पष्टीकरण में निहित स्थानीय प्राधिकरण की परिभाषा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का गठन राजस्थान अर्बन के तहत किया गया है।

सुधार अधिनियम, 1959 और निर्धारिती विभिन्न नगरपालिका कार्यों का निष्पादन कर रहा है, इसलिए यह लाभ के लिए भी हकदार है, जो नगर पालिकाओं तक विस्तारित है। प्रत्यर्थी के लिए विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि निर्धारिती, यानी शहरी सुधार न्यास परिभाषा के अंतर्गत आता है।

स्पष्टीकरण के उपखंड (iii) में दिए गए स्थानीय प्राधिकरण का, अर्थात। "नगरपालिका समिति"। यह प्रस्तुत किया जाता है कि निर्धारिती नगरपालिका का कार्य करता है कार्य करता है, शुल्क एकत्र करता है, नगरपालिका निधि पर नियंत्रण रखता है और न्यास के विघटन के बाद, पूरी निधि को नगर निगम बोर्ड को वापस कर दिया जाता है, जो प्रावधान स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि यह एक नगरपालिका समिति है और धारा 10 (20) के तहत स्थानीय प्राधिकरण की परिभाषा द्वारा शामिल है। विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण बनाम मुख्य आयुक्त मामले में इस न्यायालय का निर्णय।

आयकर और अन्य। (उपर्युक्त) अलग करने योग्य है क्योंकि उक्त निर्णय में, इस न्यायालय को उत्तर आय कर अधिकारी v के प्रावधानों पर विचार करने का अवसर मिला था।

प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976, जो एक से पूरी तरह से अलग कानून था, जो वर्तमान मामले में विचाराधीन है, अर्थात राजस्थान शहरी सुधार अधिनियम, 1959। 12. हमने पक्षकारों के विद्वान वकील की दलीलों पर विचार किया है और अभिलेखों का अवलोकन किया है।

13. अपीलों के इस समूह में पक्षों के लिए विद्वान वकील द्वारा उठाया गया एकमात्र मुद्दा यह है कि "क्या शहरी राजस्थान शहरी सुधार अधिनियम, 1959 के तहत गठित सुधार न्यास आई. टी. अधिनियम, 1961 की धारा 10 (20) के स्पष्टीकरण के अर्थ में एक स्थानीय प्राधिकरण है।

14. वित्त अधिनियम, 2002 द्वारा आई. टी. अधिनियम की धारा 10 (20) में एक स्पष्टीकरण डब्ल्यू. ई. एफ. 01.04.2003 जोड़कर संशोधन किया गया था। वित्त अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित धारा 10 (20) इस प्रकार हैः

" 10 (20) स्थानीय प्राधिकारी की आय जो "गृह संपत्ति से आय", "पूंजीगत लाभ" शीर्ष के तहत प्रभार्य है या " अन्य स्रोतों से आय या उसके द्वारा किए गए व्यापार या व्यवसाय से आय जो अपने भीतर किसी वस्तु या सेवा (पानी या बिजली नहीं) की आपूर्ति से उपार्जित या उत्पन्न होती है।

क्षेत्राधिकार क्षेत्र या पानी या बिजली की आपूर्ति से

या अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर।

स्पष्टीकरण। इस खंड के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति

" स्थानीय प्राधिकारी "का अर्थ है

(i) संविधान के अनुच्छेद 243 के खंड (घ) में निर्दिष्ट पंचायत

संविधान; या

((ii) संविधान के अनुच्छेद 243 पी के खंड (ई) में निर्दिष्ट नगरपालिका

संविधान; या

((ग) नगरपालिका समिति और जिला बोर्ड, जो कानूनी रूप से नियंत्रण या प्रबंधन के हकदार हैं या सरकार द्वारा सौंपे गए हैं।

नगरपालिका या स्थानीय निधि का; या

(iv) छावनी बोर्ड जैसा कि छावनी की धारा 3 में परिभाषित किया गया है।

अधिनियम, 1924 (1924 का 2);

15. वित्त अधिनियम, 2002 द्वारा धारा 10 (20 ए) के प्रावधानों को भी हटा दिया गया था। वित्त अधिनियम, 2002 से पहले धारा 10 (20 ए) इस प्रकार थीः

" 10 (20क) आवास की आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य से या शहरों, कस्बों और गांवों की योजना, विकास या सुधार के उद्देश्य से या दोनों के लिए अधिनियमित किसी कानून द्वारा या उसके तहत भारत में गठित प्राधिकरण की कोई आय;

16. इस मोड़ पर, स्पष्टीकरणात्मक टिप्पणियाँ अधिनियम, 2002 पर ध्यान देना प्रासंगिक है। स्पष्टीकरणात्मक टिप्पणियाँ दोनों धाराओं पर थीं-10 (20) के साथ-साथ धारा 10 (20ए) पर भी। व्याख्यात्मक टिप्पणियों के अनुच्छेद 12.2 से 12.4 और 13.4, जो वर्तमान के लिए प्रासंगिक हैं।

ओ. एस. इस प्रकार हैं:

" 12.2 वित्त अधिनियम, 2002 के माध्यम से यह छूट दी गई है -

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 (डी) और 243 (पी) (ई) में निर्दिष्ट पंचायतों और नगर पालिकाओं तक सीमित। नगरपालिका समितियाँ और जिला बोर्ड, जो कानूनी रूप से सरकार द्वारा नगरपालिका या स्थानीय निधि और छावनी बोर्डों के नियंत्रण या प्रबंधन के हकदार हैं या सौंपे गए हैं

जैसा कि छावनी अधिनियम, 1924 की धारा 3 के तहत परिभाषित किया गया है।

12.3 इसलिए, धारा 10 के खंड (20) के तहत छूट कृषि विपणन समितियों और कृषि विपणन बोर्डों आदि को इस तथ्य के बावजूद उपलब्ध नहीं होगी कि उन्हें किसी अन्य केंद्रीय या राज्य विधान के तहत स्थानीय प्राधिकरणों के रूप में माना जा सकता है। इस खंड के तहत छूट बंदरगाह न्यासों के लिए भी उपलब्ध नहीं होगी।

12.4 यह संशोधन 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होगा और तदनुसार, मूल्यांकन वर्ष 2003 के संबंध में लागू होगा।

2004 और बाद के मूल्यांकन वर्ष।

13.1 के खंड (20ए) में निहित मौजूदा प्रावधानों के तहत

धारा 10, आवास बोर्डों या अन्य सांविधिक आय

आवास की आवश्यकता को पूरा करने या शहरों, कस्बों और गाँवों की योजना, विकास या सुधार के उद्देश्य से स्थापित प्राधिकरणों को छूट दी गई है।

आयकर के भुगतान से।

13.2 वित्त अधिनियम, 2002 के माध्यम से धारा 10 के खंड (20ए) ने

हटा दिया गया है ताकि उपलब्ध छूट को वापस लिया जा सके उपर्युक्त निकाय। इसलिए राज्यों के आवास बोर्डों और विकास प्राधिकरणों की आय भी

कर योग्य हो जाता है।

आय कर अधिकारी v. उर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट [अशोक भूषण, जे.]

13.3 धारा 80 जी के तहत, धारा 10 के खंड (20 ए) में निर्दिष्ट आवास प्राधिकरणों आदि को किया गया दान दाताओं के हाथों की कुल आय से 50 प्रतिशत कटौती के लिए पात्र है। तब से

धारा 10 के खंड (20 ए) को हटा दिया गया है, आवास प्राधिकरणों आदि को दान दाताओं के हाथों में कटौती के लिए पात्र नहीं होगा और इसके परिणामस्वरूप दान सूख सकता है। आवास प्राधिकरणों आदि को दान करने के लिए प्रोत्साहन जारी रखने के लिए, धारा 80 जी में संशोधन किया गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि किसी निर्धारिती द्वारा भारत में गठित प्राधिकरण को आवास की आवश्यकता से निपटने और उसे पूरा करने के उद्देश्य से या शहरों, कस्बों और गांवों की योजना, विकास या सुधार के उद्देश्य से या दोनों के लिए अधिनियमित किसी कानून द्वारा या उसके तहत भुगतान की गई राशि का 50 प्रतिशत ऐसे निर्धारिती की कुल आय से काट लिया जाएगा।
13.4 ये संशोधन 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, मूल्यांकन वर्ष 2003 के संबंध में लागू होंगे।

2004 और बाद के मूल्यांकन वर्ष।

17. धारा 10 (20 ए), जो वित्त अधिनियम, 2002 द्वारा किए गए संशोधनों से पहले मौजूद थी, में गठित प्राधिकरण की किसी भी आय को छूट दी गई थी।

आवास की आवश्यकता से निपटने और उसे पूरा करने के उद्देश्य से या उस उद्देश्य के लिए अधिनियमित किसी भी कानून द्वारा या उसके तहत भारत

शहरों, कस्बों और गाँवों की योजना, विकास या सुधार या दोनों के लिए। राजस्थान में शहरी क्षेत्रों के सुधार के लिए राजस्थान शहरी सुधार अधिनियम, 1959 लागू किया गया था। अधिनियम में निम्नलिखित प्रस्तावना शामिल हैः

" राजस्थान में शहरी क्षेत्रों के सुधार के लिए एक अधिनियम।

जहाँ सुधार के लिए प्रावधान करना समीचीन है

और राजस्थान राज्य में शहरी क्षेत्रों का विस्तार।

18. धारा 10 (20 ए) विशेष रूप से किसी भी कानून और राजस्थान द्वारा या उसके तहत भारत में गठित प्राधिकरण की आय को छूट प्रदान करती है।

शहरी सुधार अधिनियम, 1959, इस प्रकार, स्पष्ट रूप से धारा 10 (20 ए) द्वारा कवर किया गया था जैसा कि वित्त अधिनियम, 2002 से पहले धारा 10 (20 ए) के तहत छूट का लाभ उठाया जा रहा था। धारा 10 (20 ए) को हटाने और धारा 10 (20) के तहत स्पष्टीकरण को आगे जोड़ने का क्या परिणाम है, जो "स्थानीय प्राधिकरण" शब्द की एक विस्तृत परिभाषा प्रदान करता है, जिसे वित्त अधिनियम, 2002 से पहले आई. टी. अधिनियम के तहत परिभाषित नहीं किया गया था? के लिए स्थानीय प्राधिकरण की परिभाषा, सामान्य खंड अधिनियम, 1897-धारा 3 (31) के प्रावधानों पर विचार किया गया और उन्हें लागू किया गया। स्थानीय [2018] 13 एस. सी. आर. की परिभाषा

सामान्य खंड अधिनियम की धारा 3 (31) के तहत दिया गया अधिकार इस प्रकार थाः

" " " स्थानीय प्राधिकरण का अर्थ होगा एक नगरपालिका समिति, जिला बोर्ड, निकाय या बंदरगाह आयुक्त या कानूनी रूप से हकदार अन्य प्राधिकरण,

या सरकार द्वारा नियंत्रण या प्रबंधन सौंपा गया है

नगरपालिका या स्थानीय निधि का; "

19. धारा 10 (20) में जोड़ा गया स्पष्टीकरण अब चार खंडों में स्थानीय प्राधिकरण की परिभाषा को परिभाषित करता है। खंड (i) संविधान के अनुच्छेद 243 के खंड (घ) में निर्दिष्ट पंचायत से संबंधित है। खंड (ii) संविधान के अनुच्छेद 243 पी के खंड (ई) में निर्दिष्ट नगरपालिका से संबंधित है। खंड (iv) छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 3 में परिभाषित छावनी बोर्ड से संबंधित है। निर्धारिती के लिए विद्वान वकील का दावा है कि निर्धारिती के खंड (iii) के तहत आता है

धारा 10 (20) का स्पष्टीकरण, जो निम्नलिखित प्रभाव से हैः

" ((ग) नगरपालिका समिति और जिला बोर्ड, जो कानूनी रूप से नगरपालिका या स्थानीय निधि के नियंत्रण या प्रबंधन के हकदार हैं या सरकार द्वारा सौंपे गए हैं; या

20. इस प्रकार, हमें अपनी चर्चाओं को उपरोक्त खंड (iii) तक सीमित रखना होगा, जिसके तहत निर्धारिती-शहरी सुधार न्यास होने का दावा करता है।

ढका हुआ। उपरोक्त खंड (iii) का विज्ञापन करने से पहले, उक्त अधिनियम के तहत गठित शहरी सुधार न्यास की प्रकृति का पता लगाने के लिए राजस्थान शहरी सुधार अधिनियम, 1959 के कुछ प्रावधानों पर ध्यान देना प्रासंगिक है। राजस्थान शहरी सुधार अधिनियम, 1959 धारा 2 (vi) में "सुधार" को निम्नलिखित तरीके से परिभाषित करता हैः

" 2 (vi) "सुधार" का अर्थ है अपने व्याकरणिक बदलावों के साथ भवन, इंजीनियरिंग, खनन या भूमि में, उस पर, उस पर या उसके नीचे अन्य कार्यों को करना या किसी भवन या भूमि में कोई भौतिक परिवर्तन करना [या किसी भवन या भूमि में, उस पर, उस पर या उसके नीचे किसी सुविधा का प्रावधान करना] और इसमें पुनः सुधार शामिल है।

21. धारा 2 (x) "शहरी क्षेत्र" को निम्नानुसार परिभाषित करती हैः " 2 (x) "शहरी क्षेत्र" से धारा के तहत अधिसूचित शहरी क्षेत्र अभिप्रेत है।

3 या, जैसा भी मामला हो, धारा 8 के तहत;

22. राजस्थान शहरी सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 2 (2) में निम्नलिखित प्रावधान हैंः

वह आय कर अधिकारी v. उर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट [अशोक भूषण, जे.]

" 2 (2) इस अधिनियम में परिभाषित नहीं किए गए सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों के, जहाँ भी उपयोग किए जाते हैं, वही अर्थ होते हैं जो उन्हें सौंपे गए हैं।

तत्काल लागू नगरपालिका कानून के अनुसारः "

धारा 9 में "न्यास का गठन" का प्रावधान है, जो इस प्रकार हैः

" धारा 9. न्यासों का गठन। (1) न्यास में शामिल होंगे

में से

((क) सभापति, (ख) नगर निगम बोर्ड के दो सदस्य, यदि कोई हों, जिनके पास अधिकार हों।

शहरी क्षेत्र में, [XXX]।

[(bb) X X X] [(ग) प्रत्येक न्यास के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जाने वाले अन्य व्यक्तियों की संख्या, जिनमें से एक व्यक्ति होगा।

(क) या खंड (ख)] [x x x]

(2) उप-धारा (1) के खंड (ग) में निर्दिष्ट अध्यक्ष और व्यक्तियों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी।

अधिसूचना द्वारा।

(3) खंड (ख) में निर्दिष्ट नगर निगम बोर्ड के सदस्य

उप-धारा (1) का चुनाव उक्त बोर्ड द्वारा किया जाएगा।

(4) यदि उक्त बोर्ड, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तिथि तक, अपने दो सदस्यों का न्यासी के रूप में चुनाव नहीं करता है, तो राज्य सरकार उक्त बोर्ड के दो सदस्यों को न्यासी के रूप में नियुक्त करेगी और इस प्रकार नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति को न्यासी माना जाएगा जैसे कि वह नगर निगम द्वारा विधिवत चुना गया हो।

बोर्ड।

(5) यदि उक्त बोर्ड को कुछ समय के लिए लागू नगरपालिका कानून के प्रावधान के अनुसार हटा दिया गया है या भंग कर दिया गया है, तो ट्रस्ट पर उसका प्रतिनिधित्व, यथास्थिति, नियुक्त या निर्वाचित व्यक्तियों द्वारा, उक्त कानून के तहत नियुक्त अधिकारी या प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा।

विघटन।

(6) उप-धारा (1) के खंड (ग) में निर्दिष्ट व्यक्ति में से कम से कम एक व्यक्ति राज्य सरकार की सेवा में होगा। (7) न्यास में नियुक्त या निर्वाचित सभी व्यक्तियों के नाम राज्य सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किए जाएंगे।

24. धारा 47 के तहत, नगरपालिका कानूनों के तहत कुछ शक्तियां न्यास में निहित की जानी चाहिए। धारा 48 नगर निगम बोर्ड के कर्तव्यों को न्यास को हस्तांतरित करने का प्रावधान करती है। धारा 47 और 48 इस प्रकार हैं:

" धारा 47। नगरपालिका कानूनों के तहत निहित शक्तियाँ

ट्रस्ट। (1) नगरपालिका कानून के ऐसे प्रावधानों के लिए राज्य के किसी भी भाग में, जो प्रत्येक न्यास के मामले में विहित किया जाए, उस समय लागू होने के कारण, जहां तक इस अधिनियम की अवधि के अनुरूप हो, वह उस शहरी क्षेत्र पर लागू होगा जिसके लिए न्यास

इस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया है और] उक्त में सभी संदर्भ

नगरपालिका बोर्ड, परिषद या निगम के प्रावधानों को न्यास के संदर्भ के रूप में माना जाएगा, जो किसी भी मामले में

[ऐसा शहरी क्षेत्र] अकेले उन सभी या किसी भी शक्ति और कार्यों का प्रयोग और निष्पादन कर सकता है जो उक्त प्रावधानों में से किसी के तहत नगर बोर्ड, परिषद या निगम द्वारा या अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा या उसके किसी अधिकारी द्वारा प्रयोग और निष्पादित की गई हों:

बशर्ते कि न्यास इसके तहत प्रदत्त सभी या किसी भी शक्ति को न्यास के अध्यक्ष या किसी अधिकारी को सौंप सकता है।

अनुभाग।

[(2) (5) 1976 के राजस्थान अधिनियम सं. 26 द्वारा लोप किया गया।] धारा 48, नगर निगम बोर्ड के कर्तव्यों आदि का हस्तांतरण

भरोसा रखिए। राज्य सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नगर निगम बोर्ड और उसके बाद न्यास के किसी भी कर्तव्य, शक्तियों, कार्यों और जिम्मेदारियों को न्यास को हस्तांतरित कर सकती है।

ऐसे कर्तव्यों, शक्तियों का पालन, प्रयोग, निष्पादन और निर्वहन करेगा,

कार्य और जिम्मेदारियाँ "।

25. धारा 61 में सुधार निधि का प्रावधान है। धारा 62 न्यास को बेहतरी शुल्क लगाने का अधिकार देती है। धारा 63 में सुधार शुल्क का प्रावधान है और धारा 64 में मध्यस्थों द्वारा निपटान अवधि शुल्क का प्रावधान है। एक और धारा जिस पर अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील द्वारा भरोसा किया गया है, वह धारा 105 है, जिसका प्रभाव निम्नलिखित है:

" धारा 105। न्यास का अंतिम विघटन और हस्तांतरण

नगरपालिका बोर्ड को उसकी परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ। — (1) जब इस अधिनियम के तहत स्वीकृत सभी योजनाओं को निष्पादित किया गया है या अब तक निष्पादित किया गया है ताकि न्यास का अस्तित्व बना रहे, तो राज्य सरकार की राय में, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा घोषणा कर सकती है कि न्यास को ऐसी तारीख से भंग कर दिया जाएगा जो ऐसी अधिसूचना में इस संबंध में निर्दिष्ट की जाए और न्यास को भंग माना जाएगा।

तदनुसार।

(2) उक्त तिथि से (क) सभी संपत्तियाँ, निधियाँ और देय राशि जो न्यास में निहित हैं या जो प्राप्त करने योग्य हैं, वे नगर निगम बोर्ड में निहित होंगी और जो प्राप्त करने योग्य होंगी।

(ख) न्यास के विरुद्ध प्रवर्तनीय सभी देनदारियाँ नगर निगम बोर्ड के विरुद्ध प्रवर्तनीय होंगी।

यह अधिनियम, और (घ) नगरपालिका बोर्ड इस अधिनियम के तहत अपने द्वारा क्रमशः प्राप्त और व्यय किए गए सभी धन के अलग-अलग खाते रखेगा, जब तक कि इसके तहत उठाए गए सभी ऋणों का भुगतान नहीं किया जाता है और जब तक कि खंड (ख) में निर्दिष्ट अन्य सभी देनदारियों को विधिवत पूरा नहीं किया जाता है।

26. यह ध्यान देने योग्य है कि जिस वर्ष शहरी सुधार अधिनियम, 1959 पारित किया गया था, उसी वर्ष एक अन्य अधिनियम, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 लागू किया गया था। उत्तरदाता ने दिनांकित 09.07.1970 अधिसूचना का उल्लेख किया है जिसमें राज्य सरकार ने शहरी सुधार की स्थापना की है।

, कोटा। अधिसूचना दिनांक 09.07.1970 इस प्रकार है;

" शहरी नियोजन विभाग

सूचना

जयपुर, 9 जुलाई, 1970

सं. 5 (3) टीपी/70-राजस्थान शहरी [2018] 13 एस. सी. आर. की धारा 9 और 13 के साथ पठित धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

राज्य सरकार का सुधार अधिनियम, 1959 (1959 का अधिनियम संख्या 35) आदेशों द्वाराः

1 .

कि सुधार करने के उद्देश्य से

कोटा शहर की नगरपालिका सीमा में शामिल शहरी क्षेत्र,

सुधार न्यास, कोटा नामक न्यासी मंडल स्थापित किया जाए।

2 .

कि उक्त न्यास में निम्नलिखित शामिल होंगेः

ए। एक अध्यक्ष।

बी। नगर परिषद के दो सदस्य/नामांकित व्यक्ति,

कोटा।

सी। मुख्य नगर योजनाकार या उनके मनोनीत व्यक्ति।

डी। 4 अन्य लोग।

की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए

उक्त अधिनियम की धारा 9 के अनुसार राज्य सरकार निम्नलिखित व्यक्तियों को इसके अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के रूप में नियुक्त करती है। न्यास ने कहा कि वह आई. डी. 1 या उससे पहले से तीन साल की अवधि के लिए तब तक के लिए है जब तक कि उसे उक्त अधिनियम की धारा 11 और 12 के तहत पद धारण करने की आवश्यकता न होः

1. श्री नाथू लाल जैन, अधिवक्ता अध्यक्ष

2. मुख्य नगर योजनाकार या उसका मनोनीत सदस्य

3. सुश्री नागेंद्र बाला, पूर्व। एम. एल. ए. सदस्य

4. कलेक्टर, कोटा सदस्य

3. उक्त न्यासियों के पद का कार्यकाल शुरू होगा।

10.7.70 से प्रभावी।

नगर परिषद, कोटा को नियुक्त करने के लिए कहा जाता है

इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (5) के अनुसरण में दो व्यक्ति उक्त न्यास के न्यासी होंगे।

राज्यपाल के आदेश से,

आर. के.

सक्सेना

सरकार के सचिव "आय कर अधिकारी v.

27. राजस्थान शहरी सुधार अधिनियम, 1959 की योजना के साथ-साथ राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 के अवलोकन से संकेत मिलता है कि शहरी सुधार न्यास शहरी क्षेत्र में विकास करता है।

नगरपालिका/नगरपालिका बोर्ड में शामिल। अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का गठन नगरपालिका/नगरपालिका बोर्ड के स्थान पर नहीं किया जाता है, बल्कि यह राजस्थान शहरी सुधार अधिनियम, 1959 के तहत नगरपालिका/नगरपालिका बोर्ड के शहरी क्षेत्रों में सुधार का कार्य करता है। यह धारा 47 और 48 में निर्दिष्ट नगरपालिका बोर्ड की कुछ सीमित शक्तियों का भी प्रदर्शन कर सकता है, लेकिन इस तरह के प्रावधान के बल पर शहरी सुधार न्यास नगरपालिका या नगरपालिका बोर्ड नहीं बन जाता है। संविधान (74 वां) संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा संविधान में भाग IXA को शामिल करने के बाद W. E. F. 01.06.1993, अनुच्छेद 243Q नगर पालिकाओं के गठन से संबंधित है। धारा 10 (20) स्पष्टीकरण, खंड (ii) नगर पालिकाओं से संबंधित है। 28. निर्धारिती के विद्वान वकील ने अपने दावे को स्पष्टीकरण के खंड (ii) के आधार पर आधारित नहीं किया है, बल्कि उसने अपने दावे को केवल खंड (iii) तक सीमित कर दिया है। खंड (iii) के तहत निर्धारिती का दावा है कि यह एक "नगरपालिका समिति" है। अतः हमें इसका उत्तर देना होगा कि क्या यह धारा 10 (20) के स्पष्टीकरण के अर्थ के भीतर एक नगरपालिका समिति है या नहीं?

29. धारा 10 (20) स्पष्टीकरण में आने वाला शब्द "नगरपालिका समिति" इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आया

कृषि उपज बाजार समिति नरेला, दिल्ली बनाम आयकर आयुक्त और दूसरा, (2008) 9 एस. सी. सी. 434। उपरोक्त मामले में, इस न्यायालय ने वित्त अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित धारा 10 (20) के स्पष्टीकरण और उसमें निहित स्थानीय प्राधिकरण की परिभाषा की जांच की थी। धारा 10 (20) स्पष्टीकरण डब्ल्यू. ई. एफ. 01.04.2003 के साथ-साथ सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 3 (31) में निहित स्थानीय प्राधिकरण की परिभाषा पर ध्यान देने के बाद। पैरा 30 और 31 में निम्नलिखित कहा गया हैः

" 30. शुरुआत में, यह ध्यान दिया जा सकता है कि वित्त अधिनियम, 2002 से पहले, उक्त 1961 अधिनियम में "स्थानीय प्राधिकरण" शब्द की परिभाषा नहीं थी। उस शब्द को पहली बार वित्त अधिनियम, 2002 द्वारा उक्त स्पष्टीकरण/परिभाषा खंड के माध्यम से परिभाषित किया गया। 31. उपरोक्त तुलनात्मक चार्ट से कुछ स्पष्ट विशेषताओं को समझा जा सकता है। सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 3 (31) के तहत, "स्थानीय प्राधिकरण" का अर्थ "एक नगरपालिका [2018] 13 एस. सी. आर". के रूप में परिभाषित किया गया था।

वित्त अधिनियम, 2002 के अनुसार अधिनियम। इसलिए, हमारे विचार में, यह कहना सही नहीं होगा कि "स्थानीय" शब्द की पूरी परिभाषा प्राधिकरण को 1897 के अधिनियम की धारा 3 (31) से शारीरिक रूप से हटा दिया गया है और संसद द्वारा 1961 के अधिनियम की धारा 10 (20) के उक्त स्पष्टीकरण में शामिल किया गया है। यह जानबूझकर चूक महत्वपूर्ण है।

टी ने कार्यात्मक परीक्षण को निर्धारित और लागू किया था कि क्या एक निकाय अल प्राधिकरण है या नहीं? इस न्यायालय ने निर्धारित किया कि आर. सी. जैन के मामले (उपरोक्त) में कार्यात्मक परीक्षण अब लागू नहीं हैवित्त अधिनियम, 2002 द्वारा आई. टी. अधिनियम की धारा 10 (20) का प्रावधान। इसके बाद

पैराग्राफ 35 में सहायता दें:

" 35. एक और पहलू का उल्लेख करना आवश्यक है। आर. सी. जैन, (1981) 2 एस. सी. सी. 308 में "समान प्रकृति" के परीक्षण को अपनाया गया था क्योंकि "अन्य प्राधिकरण" शब्द "नगरपालिका समिति, जिला बोर्ड, बंदरगाह आयुक्तों के निकाय" शब्दों के बाद आए थे। इसलिए, धारा 3 (31) में "अन्य प्राधिकरण" शब्दों ने पहले के शब्दों, अर्थात् "नगरपालिका समिति, जिला बोर्ड या बंदरगाह आयुक्तों के निकाय" से रंग ले लिया। आर. सी. जैन में इस तरह कार्यात्मक परीक्षण विकसित किया गया है। हालाँकि, जैसा कि पहले कहा गया है, संसद ने अपने विधायी ज्ञान में उक्त से "अन्य प्राधिकरण" शब्दों को हटा दिया है।

1961 के अधिनियम की धारा 10 (20) का स्पष्टीकरण। ने कहा कि

धारा 10 (20) का स्पष्टीकरण "स्थानीय प्राधिकरण" शब्द की परिभाषा प्रदान करता है। यह एक विस्तृत परिभाषा है। यह समावेशी नहीं है।

परिभाषा। शब्द "अन्य प्राधिकरण" में जगह नहीं पाते हैं

स्पष्टीकरण ने कहा। यहां तक कि, अपीलार्थी (ओं) के अनुसार, ए. एम. सी. (ओं) न तो नगर समिति है और न ही जिला बोर्ड, न ही नगर समिति और न ही पंचायत। इसलिए, हमारे विचार में आर. सी. जैन में निर्धारित कार्यात्मक परीक्षण और निगमन का परीक्षण अब 1961 के अधिनियम की धारा 10 (20) के स्पष्टीकरण पर लागू नहीं होता है। इसलिए, हमारे विचार में ए. एम. सी. (ओं) की स्थिति और चरित्र पर विभिन्न उच्च न्यायालयों के निर्णयों के बाद आर. सी. जैन मामले में इस न्यायालय का निर्णय अब आय कर अधिकारी v के प्रावधानों पर लागू नहीं होता है।

उर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट [अशोक भूषण, जे.]

वित्त अधिनियम, 2002 द्वारा उस उप-धारा में स्पष्टीकरण/परिभाषा खंड को शामिल करने के बाद धारा 10 (20)। ”

31. इस न्यायालय ने आगे इस अभिव्यक्ति पर ध्यान दिया कि "नगरपालिका"

धारा 10 (20) के खंड (iii) में समिति। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि स्पष्टीकरण में "नगरपालिका समिति और जिला बोर्ड" शब्दों का उपयोग प्रचुर सावधानी से किया गया था। 1897 में, जब सामान्य खंड अधिनियम लागू किया गया था, तब भारत की नगरपालिका समितियों और जिलों में अस्तित्व था

बोर्ड, जो देश के विभिन्न हिस्सों में नगरपालिका कार्यों का निर्वहन कर रहे थे। "नगरपालिका समिति और जिला बोर्ड" शब्द को वित्त अधिनियम, 2002 द्वारा शामिल किए गए संशोधनों द्वारा उन नगरपालिका समितियों और जिला बोर्ड को अपने दायरे में लेने के लिए शामिल किया गया था जो अभी भी नगरपालिका कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं जहां नगरपालिका कार्यों को करने के लिए कोई अन्य नगरपालिका या बोर्ड का गठन नहीं किया गया है। पैराग्राफ संख्या में। 36 और 37 निम्नलिखित निर्धारित किए गए हैं:

" 36 ** . यह सवाल अभी भी बना हुआ है कि संसद ने उक्त स्पष्टीकरण के मद (iii) में "नगर समिति" और "जिला बोर्ड" शब्दों का उपयोग क्यों किया है। हमारे विचार में, संसद ने "स्थानीय प्राधिकरण" को परिभाषित किया है-भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-पी के खंड (ई) में निर्दिष्ट भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-पी के खंड (डी) में निर्दिष्ट एक पंचायत और नगरपालिका। हालाँकि, "नगरपालिका समिति" और "जिला बोर्ड" शब्दों के बाद अनुच्छेद 243 का कोई संदर्भ नहीं है। हमारे विचार में, उक्त स्पष्टीकरण में नगरपालिका समिति और जिला बोर्ड का उपयोग प्रचुर सावधानी से किया गया है। 37. 1897 में, जब सामान्य खंड अधिनियम लागू किया गया था, तब भारत की नगरपालिका समितियों और जिला बोर्डों में अस्तित्व था। इसके बाद भी वे आगे बढ़ते रहे। किसी दूरदराज के स्थान पर यह संभव है कि कोई नगरपालिका समिति या जिला बोर्ड हो। इसलिए, हमारे विचार में, एक पंचायत और नगरपालिका के अलावा, संसद ने अपने विवेक से नगरपालिका समिति और जिला बोर्ड को छूट देने का फैसला किया। इससे पहले विभिन्न राज्यों में जिला बोर्ड अधिनियम थे। अधिकांश राज्यों ने उन अधिनियमों को निरस्त कर दिया था। हालांकि, यह काफी संभव है कि किसी दूरदराज के स्थान पर जिला बोर्ड अभी भी मौजूद हो। इसलिए संसद ने ऐसी नगरपालिका समितियों और जिला बोर्डों को छूट देने का फैसला किया।

इसलिए, हमारे विचार में, संसद ने पंचायत के अलावा नगरपालिका समिति और जिला बोर्ड के लिए छूट बरकरार रखी है

और नगरपालिका। "[2018] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

32. इस न्यायालय ने आगे भाग IX-A के संवैधानिक प्रावधान पर ध्यान दिया और ध्यान दिया कि किसी में लागू नगर पालिकाओं से संबंधित कोई भी कानून

संविधान (74 वां संशोधन) अधिनियम, 1992 के प्रारंभ से तुरंत पहले राज्य, भले ही भाग IX-A के प्रावधानों के साथ असंगत हो, तब तक लागू रहेगा जब तक कि किसी सक्षम विधानमंडल द्वारा संशोधित या निरस्त नहीं किया जाता है। पैरा 39 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया हैः

" 39. इसी तरह, भाग IX-A के तहत अनुच्छेद 243-ZF है जो "नगर पालिकाओं" को संदर्भित करता है। इस अनुच्छेद में, अन्य बातों के साथ-साथ, कहा गया है कि भाग IX-A में कुछ भी होने के बावजूद, किसी राज्य में तुरंत पहले लागू नगरपालिकाओं से संबंधित किसी भी कानून का कोई प्रावधान।

संविधान का प्रारंभ (74)

संशोधन) अधिनियम, 1992, जो भाग IX-A के प्रावधानों के साथ असंगत है, तब तक लागू रहेगा जब तक कि एक सक्षम विधानमंडल द्वारा संशोधित या निरस्त नहीं किया जाता है। हमारे विचार में, अनुच्छेद 243-एन और अनुच्छेद

243 - जेडएफ इंगित करता है कि ऐसे अधिनियम हो सकते हैं जो अभी भी नगरपालिका समितियों और जिला बोर्डों जैसी संस्थाओं को बनाए रखते हैं और यदि वे मौजूद हैं, तो संसद उनकी आय को छूट देने का इरादा रखती है।

1961 के अधिनियम की धारा 10 (20) के तहत।

33. उपरोक्त मामले में, इस न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया है कि "नगरपालिका समिति और जिला बोर्ड" की अभिव्यक्ति खंड (iii) में होती है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 क्यू द्वारा गठित की जाने वाली नगर पालिकाओं की परिभाषा। इस प्रकार, राजस्थान शहरी सुधार अधिनियम, 1959 के तहत गठित शहरी सुधार न्यास को आई. टी. अधिनियम की धारा 10 (20) के स्पष्टीकरण के खंड (iii) में निहित नगरपालिका समिति की परिभाषा के दायरे में नहीं रखा जा सकता है। इसके अलावा, जैसा कि ऊपर देखा गया है, धारा 10 (20 ए) को हटाने से पहले, धारा 10 (20 ए) एक ऐसा प्रावधान था जिसमें निम्नलिखित में गठित प्राधिकारी की आय को छूट दी गई थीः भारत शहरों, कस्बों और गाँवों की योजना, विकास या सुधार के उद्देश्य से या दोनों के लिए अधिनियमित किसी भी कानून द्वारा या उसके तहत। इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता कि अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, अर्थात आय कर अधिकारी v.

उर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट [अशोक भूषण, जे.]

निर्धारिती को हटाने से पहले धारा 10 (20ए) में निहित अधिकारियों की परिभाषा द्वारा पूरी तरह से कवर किया गया था। जब धारा 10 (20ए) का कोई विशिष्ट विलोपन होता है, तो उक्त विलोपन एक उद्देश्य और उद्देश्य के लिए था।

पैराग्राफ संख्या में व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ। 13.1 13. 4 जैसा कि ऊपर स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि "कुछ आवास बोर्डों आदि की आय कर योग्य हो जाएगी"। धारा 10 (20ए) में उल्लिखित अधिकारियों को हटाना इस बात का स्पष्ट संकेत था कि ऐसे अधिकारी, जो धारा 10 (20ए) के तहत छूट का लाभ उठा रहे थे, अब छूट का लाभ उठाने के हकदार नहीं होंगे। इस प्रकार धारा 10 (20ए) को हटाने का एक उद्देश्य और अर्थ दिया जाना चाहिए।

34. न्यू ओखला औद्योगिक विकास में यह न्यायालय

प्राधिकरण बनाम मुख्य आयकर आयुक्त और अन्य। (उपर्युक्त), जो इसी पीठ द्वारा दिया गया एक निर्णय था, ने धारा 10 (20ए) के उद्देश्य और उद्देश्य, वित्त अधिनियम, 2002 के संशोधन के उद्देश्य और उद्देश्य पर विस्तार से विचार किया था, जिसमें धारा 10 (20) में स्पष्टीकरण और धारा 10 (20ए) को हटा दिया गया था। 35. धारा 47 और 48 के प्रावधान नगर निगम बोर्डों की कुछ शक्तियों को न्यास द्वारा निष्पादित करने की अनुमति देते हैं जो

36. धारा 61 से 64, जैसा कि ऊपर देखा गया है, बेहतरी शुल्क लगाने के लिए सशक्त प्रावधान हैं, जो शहरी क्षेत्रों में सुधार न्यास द्वारा सुधार करने के संदर्भ में है। नगर निगम बोर्ड, कोटा उन क्षेत्रों में अपने कार्य करता है जहां नगर निगम बोर्ड अभी भी मौजूद है। यह स्वीकार करने का कोई कारण नहीं है कि शहरी सुधार न्यास धारा 10 (20) स्पष्टीकरण खंड (iii) के अर्थ के भीतर एक नगरपालिका समिति है। धारा 105 पर वापस आते हैं, जिसमें न्यास के अंतिम विघटन और उसकी परिसंपत्तियों के हस्तांतरण का प्रावधान है। और नगर निगम बोर्ड की देनदारियों के लिए, यह प्रावधान किसी भी तरह से निर्धारिती के मामले में सुधार नहीं करता है। जब न्यास भंग हो जाता है या भंग हो जाता है, तो न्यास में निहित या प्राप्त करने योग्य संपत्तियां और धन और देय राशि नगर निगम बोर्ड में निहित होगी और उसे प्राप्त किया जा सकता है, जो विभिन्न उद्देश्यों और उद्देश्यों के लिए एक प्रावधान है। उपरोक्त प्रावधान इस तर्क का समर्थन नहीं करता है कि सुधार न्यास एक नगरपालिका समिति है।

जैसा कि आई. टी. अधिनियम की धारा 10 (20) के स्पष्टीकरण के खंड (iii) में निर्दिष्ट है।

37. इस प्रकार, हमारा विचार है कि राजस्थान शहरी सुधार अधिनियम, 1959 की योजना निम्नलिखित तर्कों को स्वीकार करने की अनुमति नहीं देती है:

अपीलार्थी निर्धारिती कि शहरी सुधार न्यास धारा 10 (20) स्पष्टीकरण (iii) के अर्थ में एक नगरपालिका समिति है। धारा में प्रयुक्त "नगरपालिका समिति" अभिव्यक्ति का उद्देश्य और उद्देश्य 10 (20) कृषि उपज बाजार समिति में इस न्यायालय के निर्णय द्वारा स्पष्टीकरण (iii) को समझाया गया है, जैसा कि पहले ही ऊपर देखा जा चुका है।

नरेला, दिल्ली (ऊपर)।

38. विवादित निर्णय में उच्च न्यायालय का पूरा विचार पैराग्राफ 15 से 18 में निहित है जो निम्नलिखित प्रभाव से हैं:

" 15. यह सच है कि निर्धारिती द्वारा किए जाने वाले कार्य वैधानिक कार्य हैं और शहरी विकास के लिए राज्य सरकार के लाभ के लिए किए जाते हैं, इसलिए हमारी राय में, प्राधिकरण द्वारा किए जाने वाले कार्य एक सर्वोच्च कार्य है और राज्य की गतिविधि के अंतर्गत आते हैं।

सरकार।

16. मामले के उस दृष्टिकोण में, विभाग के वकील द्वारा जिन निर्णयों पर दृढ़ता से भरोसा किया जाता है, वे मामले के तथ्यों में कोई मदद नहीं करते हैं क्योंकि विभाग द्वारा जिस मामले पर भरोसा किया गया था वह औद्योगिक निगम के संबंध में था जो लाभ कमाने के उद्देश्य से क़ानून के तहत था। शुल्क और अन्य शुल्क जो शहरी क्षेत्र के विकास के लिए वैधानिक रूप से शामिल हैं। मामले के उस दृष्टिकोण में, जिस निर्णय पर उत्तरदाताओं के वकील द्वारा भरोसा किया जाना चाहिए, हमारी सुविचारित राय में, महत्वपूर्ण होगा और निर्धारिती द्वारा किए जाने वाले कार्य वैधानिक कार्य हैं। हमारी सुविचारित राय में, खंड-10 (20) और उप-खंड (3) के तहत नगरपालिका समिति और जिला बोर्ड कानूनी इकाई हैं जो

नगरपालिका के नियंत्रण या प्रबंधन के भीतर सरकार

या स्थानीय प्राधिकरण और निर्धारिती की मदद करने का प्रयास करेगा।

17. मामले के उस दृष्टिकोण में, 10 (20) और स्पष्टीकरण ए के संबंध में विभाग के वकील द्वारा रखी गई निर्भरता से कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

कोई भी अंतर। प्राधिकरण की आय को ध्यान में रखते हुए भारत के संविधान के तहत शहरों के सुधार की योजना और विकास के उद्देश्य से आवास योजना से निपटने या स्थापित करने के उद्देश्य से अधिनियमित आदेश, आय कर अधिकारी v.

उर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट [अशोक भूषण, जे.]

नगर और गाँव या दोनों जिनके लिए प्राधिकरण राज्य के कार्य को पूरा करने के लिए बनाया गया है जो संप्रभु हैं जबकि शहरी विकास और विकास शुल्क की गणना होगी

विकास शुल्क के अंतर्गत आता है।

18. मामले के उस दृष्टिकोण में, 20 ए को हटाने से निर्धारिती के मामले में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारी सुविचारित राय में, खंड 3 निर्धारिती की मदद में आएगा। मामले के उस दृष्टिकोण में, हमारी राय मानी जाती है कि प्राधिकरण निर्धारिती राज्य के सुधार और विकास कार्य को पूरा करने के उद्देश्य से एक स्थानीय प्राधिकरण है।

39. उच्च न्यायालय ने अपना निर्णय इस तथ्य पर आधारित किया कि निर्धारिती द्वारा किए गए कार्य वैधानिक कार्य हैं और यह शहरी क्षेत्रों के लिए राज्य सरकार के लाभ के लिए कार्य कर रहा है।

विकास। उक्त तर्क से यह निष्कर्ष नहीं निकल सकता है कि यह धारा 10 (20) स्पष्टीकरण खंड (iii) के अर्थ के भीतर एक नगरपालिका समिति है। उच्च न्यायालय ने प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों को स्वीकार नहीं किया है और प्रासंगिक पहलुओं पर विचार किए बिना गलत निष्कर्ष पर पहुंचा है। उच्च न्यायालय के निर्णय अस्थिर हैं।

40. पूर्वगामी चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय के निर्णयों को दरकिनार किया जाना चाहिए। सभी अपीलों की अनुमति है। उच्च न्यायालय के दिनांक 25.07.2017 और 23.10.2017 के फैसलों को दरकिनार करने के मद्देनजर, आई. टी. ए. टी. द्वारा पारित आदेश को पुनर्जीवित किया जाता है। दल अपना खर्च स्वयं वहन करेंगे।

अपीलों की अनुमति दी गई।

कल्पना के. त्रिपाठी